

सं. ई.11014/32(1)/2017-रा.भा.(का.)

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(राजभाषा प्रभाग)

इंदिरा पर्यावरण भवन,
जोरबाग रोड, नई दिल्ली
दिनांक : 24.01.2018

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम/नियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन के लिए जांच-बिंदु बनाना / जांच-बिंदुओं को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाना।

राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम संख्यांक 19) की धारा-4 के अनुसरण में गठित संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने, राजभाषा विभाग-गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने संबंधी सरकारी आदेशों/अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा इसके नियंत्रणाधीन सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त निकायों/उपक्रमों/ बोर्डों आदि में अनुपालन किए जाने के लिए निम्नलिखित विषयों पर जांच बिंदु बनाने और उन्हें अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है।

1. सामान्य आदेश तथा अन्य कागजात अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी करना :

राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित, 1967) की धारा 3(3) में उल्लिखित सभी दस्तावेज़ आदि हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किये जायेंगे। इस उद्देश्य के लिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि मसौदे पर तब तक हस्ताक्षर न किए जाएं जब तक वांछित कागजात द्विभाषी रूप से तैयार न हों। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि हिन्दी रूपांतर को अंग्रेजी रूपांतर से पहले/ऊपर रखा गया हो।

2. हिंदी में प्राप्त पत्रों आदि के उत्तर हिंदी में देना :

पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह हिंदी में प्राप्त पत्र अथवा हिंदी में हस्ताक्षर किये गये आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना सुनिश्चित करे।

3. "क" तथा "ख" क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्र आदि :

प्रेषण अनुभाग जांच बिंदु होगा जो "क" तथा "ख" क्षेत्रों की राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले पत्रों आदि को प्रेषण के लिए तभी स्वीकार करेगा जब वे हिंदी में होंगे या उनका हिंदी अनुवाद उचित माध्यम से होगा।

4. रजिस्ट्रों के शीर्षक द्विभाषी रूप में लिखना :

कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले सभी रजिस्ट्रों के शीर्षक द्विभाषी रूप में अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे जायेंगे जिनमें हिंदी रूपान्तर को अंग्रेजी रूपांतर के ऊपर/पहले रखा जायेगा ।

5. लिफाफों पर पते हिंदी में लिखना :

प्रेषण अनुभाग जांच-बिंदु होगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि "क" तथा "ख" क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते देवनागरी लिपि में ही लिखे जाएं ।

6. फाइल कवरों पर विषय द्विभाषी रूप में लिखना :

कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली सभी फाइलों के कवरों पर विषय द्विभाषी रूप में लिखे जायेंगे जिनमें हिंदी रूपान्तर को अंग्रेजी रूपांतर के ऊपर/पहले रखा जायेगा ।

7. यूनिकोड समर्थित सॉफ्टवेयर युक्त कंप्यूटरों की खरीद :

जो अधिकारी/अनुभाग कंप्यूटरों की खरीद/अनुरक्षण का कार्य देखता है, उसके द्वारा सभी कंप्यूटरों में हिंदी का यूनिकोड समर्थित (Unicode Supported) एक सा सॉफ्टवेयर/फॉन्ट डाला जाना सुनिश्चित किया जाएगा और नए कंप्यूटर खरीदते समय भी यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विक्रेता कम्पनी द्वारा उनमें हिंदी का यूनिकोड समर्थित (Unicode Supported) एक सा सॉफ्टवेयर/फॉन्ट डाला जा चुका है । प्रसंगवश यह उल्लेखनीय है कि अंग्रेजी में **Times New Roman** और **Arial** आदि जैसे अनेकानेक फॉन्ट सभी कंप्यूटरों में उपलब्ध रहते हैं, जिससे अंग्रेजी की सामग्री को सभी कंप्यूटरों में देखना, संपादित/संकलित करना तथा उसका प्रिंट लेना संभव है, किंतु हिंदी में स्थिति ऐसी नहीं है । सभी कंप्यूटरों में हिंदी का एक सा फॉन्ट नहीं होने से एक कंप्यूटर की सी डी/पैन-ड्राइव एवं ई-मेल के ज़रिए भेजी जाने वाली सामग्री दूसरे कंप्यूटर में नहीं खुलती है । ऐसी स्थिति में अलग-अलग स्रोतों से और/या अलग-अलग फॉन्ट्स में प्राप्त हिंदी की सामग्री को देखना, संपादित/संकलित करना तथा उसका प्रिंट लेना संभव नहीं हो पाता है । अतः सभी कार्यालय अपने सभी कंप्यूटरों में हिंदी का यूनिकोड समर्थित एक सा ही फॉन्ट होना सुनिश्चित करेंगे। इस उद्देश्य के लिये इंस्क्रिप्ट की-बोर्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है ।

यह भी हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा कि यूनिकोड सॉफ्टवेयर को किसी निजी फर्म से न खरीदा जाए और इसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.nic.in अथवा bhashaindia.com से निःशुल्क डाउनलोड किया जाए । शंका के समाधान अथवा अधिक जानकारी के लिए श्री केवल कृष्ण, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग, चतुर्थ तल, बी विंग, एनडीसीसी-1। बिल्डिंग, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-01 से फोन नं० 011-23438129 पर या ई-मेल (kewal.krishan@nic.in अथवा dir-tech@nic.in) पर संपर्क किया जा सकता है ।

8. फार्मों, कोडों, मैनुअल, प्रक्रिया साहित्य और सरकारी राजपत्र की सामग्री का द्विभाषी प्रकाशन :

भारत के राजपत्र में छपने वाली अधिसूचनाएं, नियम, संकल्प एवं कोड, मैनुअल, फार्म तथा प्रक्रिया साहित्य आदि हर हाल में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराये जाएं । इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाय कि जो सामग्री दोनों भाषाओं में नहीं भेजी जाती उसे मुद्रण निदेशालय/सरकारी प्रेम संबंधित विभाग को वापस कर देता है । गैर-सरकारी प्रेमों में छपाई जाने वाली सामग्री के संबंध में भी इसी तरह के जांच बिंदु स्थापित किए जाएं ।

9. रबड़ की मौहरें, नाम पट्ट, सूचना पट्ट आदि द्विभाषी रूप में बनाना :

रबड़ की मौहरें, नाम पट्ट, सूचना पट्ट आदि बनवाने वाले अनुभाग के प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 में उल्लिखित उक्त सामग्री हिंदी और अंग्रेजी -द्विभाषी रूप में (और यथावश्यक क्षेत्रीय भाषा में भी) तैयार कराना सुनिश्चित करे।

10. सेवा पंजिकाओं (Service Books) में प्रविष्टियां हिंदी में करना :

जिस अनुभाग में कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में प्रविष्टियां करने का काम होता है, उसका प्रभारी अधिकारी, सेवा पंजिकाओं में प्रविष्टि या हस्ताक्षर करते समय, "क" तथा "ख" क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में ही किया जाना सुनिश्चित करेगा। इस प्रकार की प्रविष्टियां "ग" क्षेत्र में भी यथासंभव हिंदी में की जायेंगी।

11. विज्ञापनों का द्विभाषी प्रकाशन :

समाचार पत्रों आदि में दिए जाने वाले विज्ञापनों को जारी करने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 30.06.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 20012/01/2017-रा.भा.(नीति) में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसरण में सभी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषा के साथ-साथ हिंदी भाषा में भी अनिवार्यतः छपवाए जाएं।

12. वेबसाइट का द्विभाषीकरण :

वेबसाइट का काम देखने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि वेबसाइट के निर्माण/अद्यतनीकरण करने वाली कम्पनी के साथ किए जाने वाले करार में- (i) वेबसाइट को द्विभाषी रूप में तैयार करने, (ii) अंग्रेजी सामग्री अपलोड करते समय ही हिंदी सामग्री को भी अपलोड करने और (iii) अंग्रेजी रूपान्तरण को अद्यतन बनाते समय हिंदी रूपान्तरण को भी अद्यतन बनाने संबंधी उपबंध शामिल हों। यदि किसी कारणवश ऐसा संभव न हो तो संबंधित अधिकारी द्वारा स्वयं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यालय की वेबसाइट द्विभाषी रूप में अर्थात् अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में हों। साथ ही वह वेबसाइट पर सामग्री अपलोड करते समय/वेबसाइट को अद्यतन बनाते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वेबसाइट का अद्यतनीकरण द्विभाषी रूप में हो/उसमें अपलोड की जाने वाली सामग्री अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में साथ-साथ अपलोड की जाए।

13. नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड द्विभाषी रूप में जारी करना :

प्रत्येक कार्यालय में नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड तैयार करने वाले अनुभाग/प्रभाग के प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड का हिंदी और अंग्रेजी- द्विभाषी रूप में और यथासंभव अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी तैयार करना सुनिश्चित करें।

14. हिंदी पुस्तकों आदि की खरीद :

राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्य के अनुरूप जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में मे डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेन-ड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर 50% व्यय किया जाना अनिवार्य है जिसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय के पुस्तकालय प्रभारी की होगी।

15. वेतन-पर्ची (Pay Slip) का द्विभाषीकरण :

'क' और 'ख' क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक कार्यालय में रोकड़ अनुभाग/आहरण एवं संवितरण अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में वेतन-पर्ची को जारी करे, भले ही वेतन का भुगतान PFMS प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा हो।

16. हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी की जिम्मेदारी तय करना :

पत्र या प्रलेख पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि जो पत्र/परिपत्र आदि राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार हिंदी में या हिंदी और अंग्रेजी में जारी किये जाने हों या जो प्रलेख हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किये जाने हों, वे उसी रूप में जारी किये जाएं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सभी अधिकारी/प्रभाग/अनुभाग/ एकक (एनआईवी, एनआरसीडी और सीसीयू सहित) तथा मंत्रालय के नियंत्राधीन सभी संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालय/ स्वायत्त निकाय/उपक्रम/बोर्ड आदि कृपया अपने-अपने कार्यालय में उपर्युक्त जांच-बिंदु बनाकर उन्हें सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाएं तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी की प्रगति की स्थिति की आवधिक समीक्षा करके उक्त जांच बिंदुओं का समुचित अनुपालन करने की अपनी जिम्मेदारी और सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के अपने संवैधानिक दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें।

यह सचिव (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सतीश चंद्र गढ़कोटी
24/11/2020

(सतीश चंद्र गढ़कोटी)

वैज्ञानिक 'जी' (राजभाषा)

सेवा में,

1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सभी अधिकारी/प्रभाग/अनुभाग/एकक।
2. पर्या., वन और ज. प. मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ /स्वायत्त कार्यालय/निकाय/उपक्रम।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सचिव (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) के निजी सचिव।
2. अपर सचिव (ए.के.जे.) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
3. डॉ. विपिन विहारी, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, एन. डी. सी. सी.-II भवन, जयसिंह रोड, नई दिल्ली।
4. अवग सचिव (आई टी), पर्या., वन और ज. प. मंत्रालय, वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।